	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.09.2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के पैतृक कृषि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2021 को अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया परन्तु विक्रय पत्र की प्रतिफल राशि अदा नही की व विक्रय पत्र में वर्णित चैक संख्या 521607 की राशि 30,00000/—रूपये चैक अनादरित होने के कारण विक्रता लादू सिंह को प्रतिफल राशि प्राप्त नही हुई इसलिए तादावा फैसला खसरा नम्बर 105 तादादी 6.96 हैक्टेयर भूमि रोही बिग्गा के संबंध में यथास्थिति बनायें रखने के आदेश अप्रार्थीगण का जारी किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जवाब प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2021 को लाधु सिंह पुत्र जोर सिंह पुरोहित से खरीद की है। प्रार्थी द्वारा जो 30,00000/—रूपये प्रतिफल राशि बकाया होने का कथन किया गया है वह गलत है, अप्रार्थी संख्या 01 ने विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 30,00000/—रूपये लाधु सिह के बैंक खाते में जरिये आरटीजीएस भुगतान कर दिये है, जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा कम्प्यूटराईज रशीद यूटीआर नम्बर 2021042761039543 प्रस्तुत की गई है साथ ही घोषण पत्र जिसमें प्रार्थीगण बजरंगसिंह, रामेश्वर सिंह, किशन सिंह व उनके भाई नारायण सिंह के हस्ताक्षर है, जिन्होने अपने पिता द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय किया जाना स्वीकार किया है, राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 105 भूमि का इन्तकाल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ है, जो कि प्रक्रियाधीन है इस प्रकार प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिंद्वान्त अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् नही बनता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उभय पक्षकरान की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य अंकित कर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है कि वादगत कृषि भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2021 की प्रतिफल राशि प्राप्त नही हुई है व प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि पर कब्जा चला आ रहा है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर अप्रार्थी का कोई कब्जा, उपयोग, उपभोग नही है, इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 ने तथ्य अंकित किये है कि वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2021 को लाधु सिंह पुत्र जोर सिंह पुरोहित से खरीद की है। प्रार्थी द्वारा जो 30,00000/—रूपये प्रतिफल राशि बकाया होने का कथन किया गया है वह गलत है, अप्रार्थी संख्या 01 ने विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 30,00000/—रूपये लाधु सिह के बैंक खाते में जरिये आरटीजीएस भुगतान कर दिये है, जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा कम्प्यूटराईज रशीद यूटीआर नम्बर 2021042761039543 प्रस्तुत की गई है साथ ही घोषण पत्र जिसमें प्रार्थीगण बजरंगसिंह, रामेश्वर सिंह, किशन सिंह व उनके भाई नारायण सिंह के हस्ताक्षर है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों से यह स्वीकृत तथ्य सामने आये है कि प्रार्थीगण के पिता लाधु सिह ने वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय की है तथा विक्रय पत्र की प्रतिफल राशि 30,00000/—रू. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लाधु सिंह के बैंक खाते में 27.04.2021 को जरिये आरटीजीएस भुगतान किया जा चुकी है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार	

विक्रय पत्र में यह अंकित है कि वादगत कृषि भूमि का कब्जा विक्रय पत्र के दिन से ही अप्रार्थी संख्या 1 के पास है। इन तमाम तथ्यों व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही है। वादगत कृषि भूमि का कब्जा विक्रय पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का है, प्रार्थीगण का किसी प्रकार से वादगत भूमि पर कब्जा नै होने के कारण अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थीगण का साबित नही है । अप्रार्थी संख्या 1 ने विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल राशि विक्रता को अदा कर दी है, इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थीगण के पक्ष मे सुविधा का संतुलन का सिद्वान्त नही बनता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। आदेश सरे इजलास लिखवाकर सुनाया गया। प्रार्थना पत्र पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ